पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

वेबसाईट : www.shekhauni.ac.in ई–मेल : reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं. : 01572-232411

क्रमांक : प्रबन्ध बोर्ड/2021–22/21641 दिनांक : 30 सितम्बर, 2021

प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 22.09.2021 का कार्यवाही विवरण

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 22.09.2021 को दोपहर 12:00 बजे विश्वविद्यालय परिसर के कुलपति सचिवालय सभागार में आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे।

क्र.सं	नाम	पद नाम	पदेन
01	प्रोफेसर भगीरथ सिंह	माननीय कुलपति	अध्यक्ष
02	श्री राजेन्द पारीक	माननीय विधायक, विधानसभा क्षेत्र सीकर	सदस्य
03	डॉ. शम्भू उपाध्याय	माननीय कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद्	सदस्य
04	डॉ0 डी. एस. थालौड़	माननीय कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष, विधि संकाय	सदस्य
05	डॉ0 पुष्पा चौधरी	माननीय कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय	सदस्य
06	डॉ0 शम्भु दयाल गुप्ता	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित सम्बद्ध महाविद्यालय प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय	सदस्य
07	प्रोफेसर एम.एस. पूनिया	राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद्	सदस्य
08	श्री अर्जुनलाल गुर्जर	कुलसचिव	सदस्य

प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य श्री जे0पी0 चंदेलिया, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र पिलानी, प्रमुख शासन सचिव वित, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, माननीय कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद् डॉ. राहुल सिंह एवं राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद् प्रोफेसर के0डी0 स्वामी बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

नोट :– समिति के सदस्य श्री राजेन्द्र पारीक, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र सीकर व डॉ0 शम्भु दयाल गुप्ता, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय ऑनलाईन गुगल मीट (Google Meet) प्लेटफॉर्म से बैठक में सम्मिलित हुये।

बैठक की विधिवत कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने सभी आगुन्तक सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया एवं परिचय करवाया। बैठक की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुये कुलसचिव द्वारा बैठक एजेण्डा प्रस्तुत किये गये जिस पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

Item Agenda (मद) 1 :– प्रबंध बोर्ड की गत बैठक दिनांक 23.12.2020 एवं 23.01.2021 के कार्यवृत की पुष्टि का प्रस्ताव। **(कार्य सूची की परिशिष्ट – I)** **(शैक्षणिक– II)**

निर्णय :– कार्य सूची की परिशिष्ट I के अनुसार कार्यवृत की पुष्टि की गई।

Item Agenda (मद) 2 :– प्रबंध बोर्ड की गत बैठक दिनांक 23.12.2020 एवं 23.01.2021 की अनुपालना प्रतिवेदन के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय। **(कार्य सूची की परिशिष्ट – II)** **(शैक्षणिक– II)**

निर्णय :– कार्य सूची की परिशिष्ट II के अनुसार प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया ।

Item Agenda (मद) 3 :– विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 03.07.2021 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय। **(कार्य सूची की परिशिष्ट – III)** **(संस्थापन/शैक्षणिक– II)**

निर्णय :– कार्य सूची की परिशिष्ट III के अनुसार कार्यवृत का अनुमोदन किया गया तथा साथ ही यह संशोधन प्रस्तुत किया गया कि एजेण्डा निर्णय संख्या 16 में सदस्यों/व्यक्तियों को 9 रू. प्रति किलोमीटर की दर के स्थान पर 11 रू. प्रति किलोमीटर की दर से वाहन किराया भुगतान किये जाने का निर्णय किया गया।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – III)

Item Agenda (मद) 4 :– भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 18.08.2021 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय। **(कार्य सूची की परिशिष्ट – IV)** **(सम्पदा शाखा)**

निर्णय :– कार्य सूची की परिशिष्ट IV के अनुसार कार्यवृत का अनुमोदन निम्न शर्तो एवं संशोधनों के साथ किया गया कि :–

1. विश्वविद्यालय में रिसर्च एवं पी0जी0 हेतु प्रस्तावित छात्रावास रिसर्च एवं पी0जी0 के दो अलग–अलग नहीं बनाकर फिलहाल रिसर्च एवं पी0जी0 का सम्मलित छात्रावास एक छात्रों एवं एक छात्राओं हेतु अलग–अलग छात्रावास का निर्माण ही करवाया जावें। भविष्य में छात्र व छात्राओं की संख्या बढ़ने या आवश्यकता होने पर रिसर्च

एवं पी0जी0 के अलग–अलग दूसरे छात्रावास भी बनाये जा सकते है।

2. विद्यार्थी सुविधा केन्द्र में हेल्थ सेन्टर अन्य बनने वाले विद्यार्थी सुविधा केन्द्रों से भिन्न स्थान पर अलग से बनाया जावें एवं हेल्थ सेन्टर का स्तर **CHC** स्तर का हो, यह भी सुनिश्चित किया जावें। जिससे कि आस–पास के आमजन को इस सुविधा का फायदा हो सके।
3. विश्वविद्यालय की पश्चिमी भाग (**WEST**) एवं पूर्वी भाग (**EAST**) की भूमि को इन्टरकनेक्ट करने हेतु स्टेट हाईवे सड़क के उपर उक्त पश्चिमी एवं पूर्वी भाग के मध्य में बनने वाले फुट ऑवर ब्रिज के निर्माण से पहले उसके मापदण्ड/स्वीकृति **IRC (Indian Road Congress)** व **MNIT** से प्राप्त कर निर्माण कार्य किया जावें।
4. **UIT** से **Earmark** स्थान के आधार पर विश्वविद्यालय जल भराव क्षेत्र में बावड़ी विकसित करवायी जावें एवं उक्त स्थान पर सघन वृक्षारोपण किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

Item Agenda (मद) 5 :– वित्त समिति की बैठक दिनांक 03.09.2021 के कार्यवृत का अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – V)
(लेखा एवं वित्त शाखा)

निर्णय :– कार्य सूची की परिशिष्ट V के अनुसार कार्यवृत का अनुमोदन किया गया । वित्त समिति के लिए सदस्य के रूप में प्रबन्ध बोर्ड की ओर से प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य डॉ0 डी0एस0 थालोड़ को नामित किया गया।

Item Agenda (मद) 6 :– विश्वविद्यालय के विद्या–परिषद्, प्लानिंग बोर्ड, भवन निर्माण समिति, निरीक्षण बोर्ड के सदस्यों के मानदेय के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(लेखा एवं वित्त शाखा)

निर्णय :– विश्वविद्यालय में बैठकों के मानदेय के सम्बन्ध में प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों को रूपये 3000 एवं अन्य जैसे विद्या परिषद व प्लानिंग बोर्ड के सदस्यों को रूपये 2000 तथा भवन निर्माण एवं निरीक्षण बोर्ड के सदस्यों को रूपये 1000 दिये जाने का निर्णय लिया गया। सदस्यों/व्यक्तियों को 11 रू. प्रति किलोमीटर की दर से वाहन किराया एवं टोल टेक्स के भुगतान किये जाने का निर्णय किया गया। फास्ट टैग से टोल टैक्स चुकाने वाले सदस्यों को टोल संबंधी अण्डरटेकिंग देनी होगी।

Item Agenda (मद) 7 :– वर्तमान सत्र 2021–22 की सम्बद्धता हेतु निर्धारित सम्बद्धता शुल्क से कम

सम्बद्धता शुल्क जमा करवाने वाले महाविद्यालयों के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(शैक्षणिक– II)

निर्णय :– वर्तमान सत्र 2021–22 की सम्बद्धता हेतु निर्धारित सम्बद्धता शुल्क से कम सम्बद्धता शुल्क जमा करवाने वाले महाविद्यालयों के सम्बन्ध में जमा कि शेष राशि पर समय अवधि तय की जाकर कम जमा राशि के शेष भाग को दुगुना (Double) करा कर जमा कराये जाने का निर्णय लिया। इसको एक विशेष प्रकरण मानकर केवल इस वर्ष हेतु ही मान्य होगा भविष्य के लिए यह कोई उदाहरण नहीं होगा।

Item Agenda (मद) 8 :– निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 04.01.2021 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – VI)

(शैक्षणिक– II)

निर्णय :– कार्य सूची की परिशिष्ट VI के अनुसार कार्यवृत का अनुमोदन किया गया ।

Item Agenda (मद) 9 :– एन.ओ.सी., सम्बद्धता शुल्क एवं अक्षय निधि (एफ.डी.आर.) के अभाव में संचालित महाविद्यालयों के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट – VII)

(शैक्षणिक– II शाखा)

निर्णय :– ऐसे प्रकरणों को छात्र हित में सत्र 2020–21 के लिए निस्तारित कर दिया जावें, किन्तु भविष्य में विद्यार्थी/छात्र हितों को ध्यान में रखते हुये समाचार पत्रों के माध्यम से यह खबर प्रकाशित हो कि यदि विद्यार्थियों/छात्रों द्वारा उक्त वर्णित महाविद्यालयों में प्रवेश लिया जाता है तो विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होकर स्वयं विद्यार्थी व महाविद्यालय ही जिम्मेदार होगा। चूंकि उक्त महाविद्यालय ने विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त ही नहीं की है। साथ ही विश्वविद्यालय की वेबसाईट (website) पर भी यह सूचना प्रकाशित/अपलोड हो।

Item Agenda (मद) 10 :– विश्वविद्यालय के गत परीक्षाओं के पैपर सैटिंग, उत्तर–पुस्तिका मूल्यांकन के बिलों के भुगतान के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(परीक्षा, लेखा एवं वित्त शाखा)

निर्णय :– लम्बित परीक्षा बिलों का भुगतान करने का निर्णय लिया गया, किन्तु भुगतान के पूर्व यह सुनिशिचित कर लिया जाये कि भुगतान सम्बन्धि समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है व नियमानुसार हो यह देख लिया जाये तथा भुगतान में देरी के लिए उत्तरदायित्व (Responsibility) भी तय किये जावें।

Item Agenda (मद) 11 :– सेठ पीरामल बी.एड. कॉलेज की स्थायी सम्बद्धता के अभाव में बिना सम्बद्धता शुल्क जमा करवाये महाविद्यालय संचालित हो रहा है, के संबंध में विचार एवं निर्णय। **(कार्य सूची की परिशिष्ट – XII)**

(शैक्षणिक–II शाखा)

निर्णय :– महाविद्यालय के दस्तावेजों की पूर्ण जांचकर कार्यवाही करें। स्थायी सम्बद्धता के सही दस्तावेजों के अभाव में सम्बद्धता जारी नहीं की जावें। ऐसी स्थिति में अन्य महाविद्यालयों की तरह ही इस महाविद्यालय को भी विश्वविद्यालय से सम्बद्धता नहीं होने की जानकारी समाचार पत्रों एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट (website) के माध्यम से दी जावें।

Item Agenda (मद) 12 :– शोध पात्रता परीक्षा के आयोजन हेतु विभिन्न परीक्षा केन्द्रों एवं वीक्षकों, ऑब्जवर्स,फ्लाइंग, कॉर्डिनेटर्स, विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कार्मिकों को आवंटित विभिन्न जिम्मेदारियों हेतु मानदेय भुगतान के संबंध में विचार एवं निर्णय। **(कार्य सूची की परिशिष्ट – VIII)**

(शैक्षणिक–II शाखा)

निर्णय :– कार्य सूची की परिशिष्ट VI के अनुसार कार्यवृत का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया कि मानदेय का भुगतान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा प्रदत मानदेय से अधिक नहीं हो।

Item Agenda (मद) 13 :– प्रयुक्त उत्तरपुस्तिकाओं की नीलामी हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय उपापन एवं विक्रय विनियम, 2017 के नियम 12 के अनुसार विक्रय समिति में प्रबंध बोर्ड द्वारा मनोनीत सदस्य होगा। प्रतिवेदित है कि परीक्षा 2018 व 2019 की उत्तरपुस्तिकाओं की दिनांक 19.01.2021 को की गयी नीलामी में प्रबंध बोर्ड के द्वारा मनोनीत सदस्य के रूप में माननीय कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत सदस्य डॉ. सुशील नान्दल का अनुमोदन। **(कार्य सूची की परिशिष्ट – IX)**

(परीक्षा, लेखा एवं वित्त शाखा)

निर्णय :– कार्य सूची की परिशिष्ट IX के अनुसार प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया। आगामी बैठकों में इस समिति के लिए प्रबन्ध बोर्ड की ओर से प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य डॉ0 पुष्पा चौधरी को नामित किया गया।

Item Agenda (मद) 14 :– राज्य सरकार के दिशा–निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं में कोविड–19 के दिशा–निर्देशों की पालना के क्रम में परीक्षा केन्द्रों पर उपलब्ध करवाये गये सेनेटाइजर्स, मास्क इत्यादि हेतु एक केन्द्र पर पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर प्रति विद्यार्थी रू. 5.00 के अनुसार भुगतान के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(परीक्षा, लेखा एवं वित्त शाखा)

निर्णय :– प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

Item Agenda (मद) 15 :– राजभवन के पत्रांक F.38(1)(12)RB/TWC/SV/2020/3185 दिनांक 28.07.2021 के तहत यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पान्सबिलिटी के तहत जनवरी, 2021 से नया गांव गोद लेने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(कार्य सूची की परिशिष्ट –X)
(सामान्य प्रशासन शाखा)

निर्णय :– निम्नानुसार बिन्दुवार निर्णय लिये गये :–

01. कोलिडा गांव को गोद लिये जाने का निर्णय लिया गया ।
02. यह तय किया गया कि ग्राम में स्थायी निर्माण कार्य भी करवाएं जावें।
03. राजभवन से प्राप्त होने वाले दिशा–निर्देश के अनुसार कार्यों को प्राथमिकता के साथ करवाएं जावें।

Item Agenda (मद) 16 :– उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के पत्रांक F.1(6)Edu.4/2010 दिनांक 19.08.2021 के तहत यू.जी.सी. रेग्युलेशन, 2018 को ग्रहण करने के संबंध में विचार एवं निर्णय। **(कार्य सूची की परिशिष्ट –XI)**

(संस्थापन शाखा)

निर्णय :– यू.जी.सी. रेग्युलेशन, 2018 को ग्रहण (Adopt) करने का निर्णय लिया गया।

Item Agenda (मद) 17 :– राज्य सरकार की विद्या सम्बल योजना को लागू करने के संबंध में विचार एवं निर्णय।

(संस्थापन शाखा)

निर्णय :– विद्या सम्बल योजना को लागू करने पर राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों की पालना किये जाने का निर्णय लिया गया।

Table Agenda	
Table Agenda (मद) 01 :–	विद्या परिषद की बैठक दिनांक 15.09.2021 के कार्यवृत का अनुमोदन। **(कार्य सूची की परिशिष्ट –XIII)** **(संस्थापन / शैक्षणिक– II)**
निर्णय :–	कार्य सूची की परिशिष्ट XIII के कार्यवृत का अनुमोदन किया गया।
Table Agenda (मद) 02 :–	विश्वविद्यालय की निजी आय में से अधिशेष निधियों के विनियोजन पर विचार एवं निर्णय। **(कार्य सूची की परिशिष्ट –XIV)** **(लेखा एवं वित्त शाखा)**
निर्णय :–	कार्य सूची की परिशिष्ट XIV का अनुमोदन किया गया। राजभवन से अनुमत बैंकों से ब्याज दरों के प्रतिर्स्पधा के आधार पर अधिकतम ब्याज दर पर विनियोजन करें।
Table Agenda (मद) 03 :–	स्पोटर्स बोर्ड के चैयरमैन एवं सदस्य की नियुक्ति पर विचार एवं निर्णय। **(स्पोट्र्स शाखा)**
निर्णय :–	प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य श्री जे0पी0 चन्देलिया, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र पिलानी को स्पोटर्स बोर्ड के चैयरमैन एवं प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य प्रोफेसर एम0एस0 पुनियां को स्पोर्टर्स बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
Table Agenda (मद) 04 :–	श्री गोकुल प्रसाद, तकनीकी सलाहकार राजस्थान सरकार एवं सेवानिवृत मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश पर विचार एवं निर्णय। **(कार्य सूची की परिशिष्ट –XV)** **(सम्पदा शाखा)**
निर्णय :–	कार्य सूची की परिशिष्ट XV बैठक दिनांक 22.02.2021 एवं 26.06.2021 के कार्यवृत का अनुमोदन किया गया।
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।	
01.	दिनांक 22.09.2021 की बैठक में प्राप्त हुए प्रतिवेदनों पर विचार एवं निर्णय :– 01. विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में संचालित अर्जुनराम टी0टी0 कॉलेज पूरा की ढ़ाणी के सम्बन्ध प्राप्त शिकायत के क्रम में । 02. विकास टी0टी0 कॉलेज,पूरा की ढ़ाणी के सम्बन्ध प्राप्त शिकायत के क्रम में ।

	03. श्री राजेश कुमार ढ़ाका के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत के क्रम में। **(कार्य सूची की परिशिष्ट –XVI)** **(शैक्षणिक–II शाखा)**
निर्णय :–	दिनांक 22.09.2021 की बैठक में प्राप्त हुए तीनों प्रतिवेदनों पर विचार कर निर्णय लेने हेतु एक समिति का गठन किया गया। समिति का गठन प्रबन्ध बोर्ड के निम्न सदस्यों को नामित कर किया गया :– 01. माननीय कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद् डॉ0 शम्भु उपाध्याय, 02. राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित विख्यात शिक्षाविद् प्रोफेसर एम0एस0 पुनियां, 03. माननीय कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष, विधि संकाय डॉ0 डी0एस0 थालोड़, समिति की रिपोर्ट आगामी प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत हो।

कुलसचिव